69

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

अप 1243-I-16

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2015–16

आवेदक : रामदास, आत्मज लल्लू गौंड, निवासी–ग्राम झिंझरी, तहसील व जिला कटनी (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदक : म.प्र. शासन

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता, 1959

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर कटनी द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 13/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2014 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधार पर प्रस्तुत करता है:–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, आवेदक ग्राम झिंझरी, तहसील व जिला कटनी (म.प्र.) का स्थाई निवासी है ।

2. यह कि, ग्राम झिंझरी, प.ह.नं. 29, राजस्व निरीक्षक मण्डल मुड़वारा–2, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 1354 रकवा 0.29 हे. राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज है ।

3. यह कि, उक्त प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1987–88 तक मंगना वल्द प्यारे का नाम मूल पट्टेदार की हैसियत से दर्ज था किन्तु बाद के वर्षों में तत्समय के भूमिस्वामी का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया गया ।

4. यह कि, उक्त प्रश्नाधीन भूमि मंगना वल्द प्यारे को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत मंगना वल्द प्यारे

COMMISSIONER OF OATHS FOR THE HIGH COURT JABALPUR Smt. Manju Singh Parmar 29/3/16

द्वारा आज दि. 20.4.16 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5 रू. भारत पाँच रुपये

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5 रू. भारत पाँच रुपये

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1243/एक/2016 जिला–कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
5-5-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जिला कटनी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम झिझंरी प.ह.न.29 रा.नि.म. मुडवारा–2 तहसील व जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा नं.1354 रकवा 0.29 है0, का आवेदक भूमि स्वामी है। तथा शासकीय अभिलेखों में उपरोक्त भूमि आवेदक के नाम दर्ज है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखो में वर्ष 1987–88 तक मंगना पुत्र प्यारे का नाम मूल पट्टेदार की हैसियत से दर्ज था किन्तु बाद के वर्षो में तद्समय के भूमि स्वामी का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया गया। भूमि स्वामी मंगना पुत्र प्यारे को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त मंगना पुत्र प्यारे का नाम तद्समय राजस्व अभिलेखो के रूप में दर्ज किया गया तथा भूमि स्वामी अधिकार का खसरा तथा भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका जारी की गयी। मंगना पुत्र प्यारे ने उपरोक्त भूमि वर्ष	

की गयी। मंगना पुत्र प्यारे ने उपरोक्त भूमि वर्ष 1997–98 में आवेदक को विक्रय कर दी गयी और राजस्व अभिलेखो में नामान्तरण आदेश पारित किया गया। हल्का पटवारी द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि उक्त खसरा नं. की भूमि वर्तमान में मंगना पुत्र प्यारे ने कलेक्टर के बिना अनुमति आदेश के पंजीयन एवं अपना नामान्तरण राजस्व अभिलेखो में करा लिया गया है जो संहिता की धारा 165 (7)(ख) का उल्लंघन किया है उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/बी–121/2013–14 दर्ज किया जाकर प्रकरण का अंतिम निराकरण प्रकरण में साक्ष्य अंकित कराये बिना ही दिनांक 24.03.2014 को कर दिया गया इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– यह सही है कि अपर कलेक्टर कटनी आदेश दिनांक 24.03.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी वर्ष 2016 में प्रस्तुत की गयी है परन्तु आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र देकर बताया गया कि अपर कलेक्टर जिला कटनी में नियुक्त अभिभाषक ने उसे आदेश की जानकारी नही दी। आदेश की जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं नकल प्राप्त होने पर अभिभाषक फीस के बंदौबस्त में समय लगा तत्पश्चात् दिनांक 20.04.2016 को माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

न्यायदृष्टांत में स्पष्ट किया गया है कि अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं करना चाहिये एवं न्याय हेतु में मामला गुणा गुण पर विनिश्चत करना चाहिये। अतः आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 में दिया गया विचरण समाधान कारक होने से विलंब क्षमा किये जाने योग्य है।

5- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि मंगना पुत्र प्यारे को वर्ष 1980 के पूर्व उक्त खसरा नं. की भूमि पट्टे पर प्रदान की गयी थी। तथा मंगना पुत्र प्यारे का नाम मिसल बंदौबस्त के बाद प्रश्नगत भूमि के राजस्व अभिलेखो में विधिवत् भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया गया था अतः पट्टे की अनुमति के संबंध में कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कलेक्टर कटनी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को मे बताया कि भूमि का पट्टा स्पष्ट रूप से 1987-88 से बहुत पहले से ही स्वीकृत किया जा चुका था और मंगना पुत्र प्यारे का नाम भूमि स्वामी के रूप में बंदौबस्त अभिलेख में वर्ष 1987-88 में प्रदर्शित है। ऐसी स्थिति में मंगना पुत्र प्यारे को कलेक्टर की अनुमति के बिना ही भूमि विक्रय करने का अधिकार था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है आवेदक एवं विक्रेता मंगना पुत्र प्यारे आदिवासी जाति वर्ग के है ऐसी स्थिति में विक्रय व्यवहार के पूर्व कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6- अनावेदक क्रमांक 1 के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण में जो आदेश पारित किया गया है वह विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

7- उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि प्रशनाधीन भूमि मिसल बंदौबस्त 1987-88 में ग्राम झिझंरी प.ह.न. 29 स्थित भूमि खसरा नं.। 354 रकवा 0.29 है0 भूमि बंदौबस्त अभिलेख के अनुसार मंगना पुत्र प्यारे का नाम शासकीय पट्टेदार के रूप में दर्ज है। और भूमि स्वामी द्वारा अपनी भूमि वर्ष 1997-98 में आवेदक को विक्रय की गयी थी जिसके आधार पर उनका नामान्तरण किया गया है। ऐसी स्थिति में विक्रेता को भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था क्योंकि पट्टा की स्वीकृति दिनांक से 10 वर्ष की अवधि तक भूमि विक्रय से प्रतिबंधित है तत्पश्चात् वह बिना अनुमति के भूमि को हस्तान्तरण करने में सक्षम है। इस संबंध में सहिता की धारा 158 में उपधारा 3 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है

8- आवेदक अभिभाषक के तर्को के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वंय द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी

अपर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

9- उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि रामदास पुत्र लल्लू गौड को पट्टा प्राप्ती के दिनांक से 10 वर्ष की समयावधि बीत जाने के बाद म.प्र. भू-राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधानों के अधीन भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। जिनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पत्र निष्पादन पट्टा प्राप्ती के 10 वर्ष की समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद किया गया है। जिस विक्रय पत्र को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठ न्यायालयो द्वारा पारित न्यायदृष्टांतो तर्को से सन्तुष्ट होते हुये यह निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2014 निरस्त किया जाकर तहसीलदार कटनी को प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखो में आवेदक का नाम दर्ज करने के निर्देश दिये जाते है।

सदस्य